

स्थापना एवं अन्य
प्रतिबद्ध व्यय मद

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-२जी/अजाविनि-०७/२०१२(खण्ड संचिका)-

प्रेषक,

सुरज कुमार चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-अवर सचिव,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-गैर वेतन हेतु कुल रू० ५०,००,०००/- (पचास लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-गैर वेतन हेतु कुल रू० ५०,००,०००/- (पचास लाख रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-२जी/अजाविनि-०७/२०१२ (खण्ड संचिका)-२९४ दिनांक-२८.०१.२०२६ द्वारा दी गयी। तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत राशि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को आवंटित की जाती है।

२- स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि "मुख्य शीर्ष २२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मा को सहायता-उप शीर्ष-०००१-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना-मांग सं०-४४-विषय शीर्ष- ३१-०६-सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-४४- २२२५०११९००००१ के अन्तर्गत विकलनीय है।

उपरोक्त मद में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के लिए स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

क्रमांक	विषय शीर्ष	विवरणी	आवंटित राशि की विवरणी (रू० में)
१	३१-०६	सहायक अनुदान-गैर वेतन	रू० ५०,००,०००/-
कुल-			रू० ५०,००,०००/-

३- उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना के पी० एल० खाता सं०-PTSPLA020 में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७.०४.१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

५- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ३१.०३.२०२६ तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

- 6- महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।
- 7- 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।
- 8- निगम के कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 9- राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
- 10- इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं०-2जी/अजाविनि-07/2012 (खण्ड संचिका) के माध्यम से सहमति प्राप्त है।
- 11- इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुरज कुमार चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-2/जी अजाविनि-07/2012(खण्ड संचिका)-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012 (खण्ड संचिका)-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-2/जी अजाविनि-07/2012 (खण्ड संचिका)-

प्रतिलिपि- निदेशक/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सांख्यिकी कोषांग/बजट शाखा/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक- 29.01.2026

ज्ञापांक-2/जी अजाविनि-07/2012 (खण्ड संचिका)-

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/01/2026

सरकार के उप सचिव।